

प्रधक

क०८५० मिन्हा

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

संघ में

जिलाधिकारी

महाबा / प्रतापगढ़।

१०५

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक २५ मार्च, २०११

विषय : वित्तीय वर्ष २०१०-११ में कड़ाके की उपड़ एवं पाले के कारण पान की खेती के नष्ट होने से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० २,१८,८५६/- (रूपये दो लाख अठारह हजार आठ सौ छप्पन मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवारन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र के सदर्न में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१०-११ में कड़ाके की उपड़ एवं पाले के कारण जान की खेती के नष्ट होने से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० २,१८,८५६/- (रूपये दो लाख अठारह हजार आठ सौ छप्पन मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवारन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०	जनपद का सा० नाम	मद	धनराशि (लाख रु० में)	जिलाधिकारी का स्वेच्छा ज्ञ.
१	महाबा	कृषि निवेश अनुदान	१,१८,८५६/-	८५९ सौ०आर०ए०-१३-द०आ००२०१०-११) दिनांक २२.०३.२०११
२	प्रतापगढ़	कृषि निवेश अनुदान	१,००,०००/-	२९८ सौ०आर०ए०-८०आ०-२०११ दिनांक २३.०३.२०११
यांग			२,१८,८५६/-	

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ वे आठ-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४-प्राकृतिक विरप्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि बाढ़/अति बृष्टि से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग की गाझड़ लाइन संख्या ३२-३४/२००७-एन०ड००८०-१ दिनांक २७ जून, २००७ के अझ्टम न० ३ के च (१) में दिये गये मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति का कई मदों में राहत अनुमत्य है तो सबको मिलाकर एक ही चंका दे माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।

४. वर्ष २०१०-११ में कृषि निवेश मद में ३१ मार्च, २०१० तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभाग प्रमाण-पत्र शासन का उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि का धनराशि का व्यय सकाम अधिकारी हारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुप्रयोग सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

५. उक्त स्वीकृत धनराशि क्रमबद्ध इस विनायिक एवं दर्ता आपदाओं वा प्रभावित घटनाओं का राहत पूँछाने का निमित्त यह को जातगय। इससे पूर्व हर्षे एवं दायित्वों का निवारण नहीं किया जातगय।

६. राहत की धनराशि की जाल एवं व्यक्ति की धनराशि एवं प्रमाण के कठ में नियंत्रण वर्तमानमें अधिकारी एवं दायित्वों वा उचित ग्राहक द्वारा इस असम्भव में रखा जाता है। नियंत्रित उचित ग्राहक द्वारा प्रदानित तो उत्तर पूर्व यात्रा की उगले चुकी राहत के दृष्टिकोण सुनाया भी जाता।

७. कार्लेप्पे प्रकरण में यह भी इतने में आया है कि आवार्टित धनराशि एवं राहत विस्ते समझाने विभाग या उचित ग्राहकों को हस्तमत छोड़कर अपने कराया की हस्तियों को सौ जाती है यह विधि चाहिए नहीं है। नियंत्रित प्रदाता धनराशि आपदा राहत हतु प्रदान की जाती है। यह आपदा के अन्तर्गत राहत की आवश्यकता का नियंत्रण करना तदनुसार इस उपलब्ध कराना तथा इसका वर्तमान विनायिक वर्तमान यह का एवं विवरण शासन का नियारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिसाधिकारी का करत्त्व है। अत आपदा राहत नियंत्रित प्रदाता धनराशि का प्रायक रूप पूर्ण संजगता के साथ समर्पित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

८. आपदा राहत नियंत्रित स्वीकृत धनराशि को जिला लला पर समर्पित लखा-जाता रखा जाय तथा माह के अन्त में लखा राजिस्टर जिसाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मध्याद भूमिका द्वारा नियंत्रण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2006-रा/—11 दिनोंक 20 जून 2006 द्वारा प्रसारित प्राकाश पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना के साथ ही दिनक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त के वर्षसाडट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवार्टित धनराशि में से यांत्र बचत संभावित हो तो उन्हें दिनोंक 31 मार्च 2011 से पूर्व शासन द्वा समर्पित कर दिया जाय।

९. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—एड विनायिक इनप्रूटिका फॉर्म-१ भाग-१ के इन्हें १०५ एवं उक्त धनराशि विनायिक इन्हें १०५-४ एवं १०५-५ भाग-१ के उपर उपलब्ध रखाया जाए।

१०. यह इन विनायिक इनप्रूटिका फॉर्म-१ के अन्त में उपलब्ध विनायिक एवं उपलब्ध नियंत्रित वर्तमान कागजात के अपार विनायिक द्वारा उपलब्ध इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए।

भवार्यक्त

(कार्लेप्पे सन्तुष्ट)

मुख्य सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या—993/1-10-2011-14(63)/2010 दौ10सी10 तदविनायिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएवं एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रवित —

१—महालखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उम्प्र० इलाहाबाद।

२—मण्डलायुक्त इलाहाबाद/चित्रकूट मण्डल।

३—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उम्प्र० लखनऊ।

४—कार्लेप्पे इनप्रूटिका योजना भवन लखनऊ के इन अनुराय के साथ कि:

५—वार्षिक विस्त एवं संख्या अधिकारी कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ।

६—वार्षिक कार्याधिकारी महोदय/प्रतापगढ़।

प्रियत व्याप नियंत्रण उन्मानग—६

मुख्य अनुमान—१०/राजस्व अनुमान—६/११।

राहत।

माझा सं

(आनन्द प्रकाश उपाध्याक)

सुनिश्चित

१०५